दिल्ली विकास प्राधिकरण
चिकित्सा कक्ष, जी-ब्लॉक (पूर्व में प्रेस बिल्डिंग)
प्रथम तल, विकास सदन
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

सं. एफ.8(3)2015-16/एमसी-I/एनएमएस/पार्ट-VII/पी/1038 दिनांक: 09.02.2024

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या. 03/2024

विषय: पैनलबद्ध और गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों से आई.पी.डी. दावे की प्रतिपूर्ति हेतु दिशानिर्देश/शर्तें

सभी चिकित्सा लाभार्थियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एतद्द्वारा विशिष्ट जानकारी और सूचना दी जाती है कि पैनलबद्ध अस्पतालों से आई.पी.डी. मामलों में चिकित्सा व्यय के दावे केवल प्रचलित सीजीएचएस दरों पर स्वीकार्य होंगे /प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा लाभार्थियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती होने के मामले में, सबंधित अस्पताल द्वारा जारी विशिष्ट पेशेंट आई.डी., पंजीकरण सं. आदि वाले वैध कंप्यूटराइज्ड इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जिसकी प्रमाणिकता और विश्वसनीयता को सत्यापित किया जाएगा और जांचा जाएगा, को प्रस्तुत करने पर दावे की प्रतिपूर्ति केवल सीजीएचएस दरों की सीमा के अधीन होगी ।

हालांकि, गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में आपातकालीन उपचार के प्रारंभिक 5 दिन समाप्त होने के बाद, रोगी को आगे के चिकित्सा व्यय (यदि आवश्यकता हो) की प्रतिपूर्ति हेतु दावे के पात्र होने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ।

क) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए :-

यदि रोगी दिल्ली/एनसीआर में रह रहा हो, तो उसे पैनलबद्ध अस्पताल में शिफ्ट (यदि चिकित्सकीय दृष्टि से आवश्यक हो) किया जाना चाहिए । यदि चिकित्सकीय रूप से पैनलबद्ध अस्पताल में शिफ्ट करना संभव नहीं हो तो उक्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को चिकित्सा का आधार देते हुए इसके लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मुख्य लेखा अधिकारी से उसी गैर-पैनलबद्ध अस्पताल जिसमें रोगी को आपातकालीन स्थिति में भर्ती किया गया था, में आगे का उपचार जारी रखने के लिए अनुमति लेनी होगी ।

ख) कार्यरत स्टाफ/पारिवारिक सदस्यों के लिए :-

रोगी को पैनलबद्ध अस्पताल में शिफ्ट (यदि चिकित्सा दृष्टि से आवश्यक हो) किया जाना चाहिए। यदि चिकित्सकीय रूप से पैनलबद्ध अस्पताल में शिफ्ट करना संभव नहीं हो तो उक्त कार्यरत स्टाफ/पारिवारिक सदस्य को चिकित्सा का आधार देते हुए इसके लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संबंधित विभागाध्यक्ष से उसी गैर-पैनलबद्ध अस्पताल जिसमें रोगी को आपातकालीन स्थिति में भर्ती किया गया था, में आगे का उपचार जारी रखने के लिए अनुमति लेनी होगी ।

यह भी सलाह दी जाती है कि चिकित्सा लाभार्थियों को आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए गैर पैनलबद्ध अस्पतालों की जगह केवल पैनलबद्ध सीजीएचएस अस्पतालों में आई.पी.डी. उपचार को वरीयता देनी चाहिए चूंकि यह देखने में आया है कि गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा प्रभार पैनलबद्ध अस्पतालों की तुलना में अधिक हैं ।

उक्त दिशानिर्देश 1 मार्च 2024 से लागू होंगे ।

हस्ता/-

मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी
2. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य के निजी सचिव
3. मुख्य लेखा अधिकारी, प्रधान आयुक्त (पी/एलएम), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार, आयुक्त (एलएम/एलडी), आयुक्त (प्रणाली), आयुक्त (आवास), आयुक्त (खेल)
4. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव, आयुक्त (योजना) के निजी सचिव, मुख्य वास्तुकार के निजी सचिव
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के निजी सचिव
6. सभी निदेशक
7. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी, पीएओ (ईडब्ल्यू)
8. सभी नोटिस बोर्ड

हस्ता/-

मुख्य लेखा अधिकारी